Previous Year Paper

MADHYA PRADESH CJ MAINS 2013

FIRST PART
CONSTITUTION OF INDIA
भारत का संविधान

1. (a) Describe the fundamental duties prescribed under Article 51A?
अनुच्छेद 51 ए के अन्तर्गत प्रवधानिम मूलभूत कर्त्तव्यों को वर्णित करें?

1(a) What do you know by Schedule Caste and Scheduled Tribe?
Describe the procedure for their ascertaiment and how they are included in t appropriate list/orders.
अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति से आप क्या समझते हैं? उन्हें इस तरह अभिनिश्चित किये जाने व उपयुक्त सूची/आदेश में सम्मिलित किये जाने संबंधी प्रक्रिया का वर्णन कीजिये?

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

2.(a) Describe the provisions regarding settlement of disputes out side the court. What procedure is to be followed by the courts, explain with reference to any one mode of alternative dispute resolution?
न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे से संबंधित प्रावधानों को वर्णित करें। वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी एक तरीके के विकल्प के लिए न्यायालयों को क्या प्रक्रिया अपनानी होगी?

2.(b) What are the circumstances in which a court can order attachment before judgmnent? What procedure the court has to follow in effection attachment before judgment? What is the effect of attachment before judgment?
वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं, जिनमें न्यायालय निर्णय के पूर्व कूर्की का आदेश कर सकती है? निर्णय के पूर्व कुर्की को प्रभावशील करने हेतु न्यायालय को किस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है? निर्णय के पूर्व कुर्की का क्या प्रभाव होता है?

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882

3.(a) In default of paymkent of the mortagage money a Mortagages in which cases and under what conditions can sell the mortgaged property, without tht intervention of the court?
बन्धक धन के संदाय में व्यक्तिक्रम होने पर बन्धकार किन दशाओं में एवं शर्तों के साथ बन्ध सम्पत्ति का विक्रय न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना कर सकता है?

3.(b) What is "Vested interest"? How it is distinct from "Contingent interest"? Whether a vested interest can be created in favour of an unborn person?

"निहित हित" क्या होता है? कैसे यह "समाश्रित हित" से भिन्न है? क्या अजन्में व्यक्ति के पक्ष में निहित हित सृष्ट किया जा सकता है?

INDIAN CONTRACT ACT, 1872
भारतीय संविदा अधिनियम, 1882

4.(a) Define Misrepresentation? Describe the effect of a contract entered into on misrepresentation. How the effect differs from an agreement where both parties are under a mistake of fact as well of mistake as to law?

मिथ्या दुर्व्यपदेशन परिभाषित कीजिये? मिथ्या दुर्व्यपदेश के अधीन कीक गई संविदा के प्रभाव का वर्णन कीजिये? दोनों पक्षकारों के मध्य तिय विषयक भूल/त्रुटि साथ ही साभ विधि विषयक भूल के अधीन किये गये अनुबंध के प्रभाव से यह किस प्रकार भिन्न है?

4.(b) Whether minors are incapable to contract? Can a minor's contracet be specifically enforced?

क्या अवयस्क संविदा करने हेतु असमर्थ है? क्या एक अवयस्क की संविदा का विनिर्दिष्टत: पालन हो सकता है?

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

5.(a) What are the cases contemplated under the Specific Relief Act, in which the relief of injunction cannot be granted? Can injunctionbe granted of perform a negative agreement? If so when?

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतग्रत कौन से मामले हैं जिनमें निषेघाज्ञा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है? क्या नकारात्मक करार के पालन के लिए निषेघाज्ञा दी जा सकती है? यदि हां तो कब?

5.(b) What a plaintiff has to establish to succeed in suit under sec. 6? Whether the ddefeated plaintiff lateron can file suit for decelaration and possession on the basisi of his title?

धारा 6 के अन्तर्गत वाद में सफलता के लिए वादी को क्या स्थापित करना है? क्या वाद में असफल वादी बाद में अपने स्वत्व के आधार पर घोषणा एवं आधिपत्य के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है?

LIMITATION ACT, 1963
परिसीमा अधिनियम, 1963

6.(a) Facts : A "Child" in a worb got the exclusive sole right to an immovable property on 01.11.1995. The Child was born on 01.07.1996.

(i) Upto which date can the child file a suit for possession of such immovable property? Explain with relevant laws.

(ii) What will be the consequences if suit is not filed within the prescribed limitation?

तथ्य–एक बच्चे ने गर्भ में रहते दिनांक 01–11–1995 को एक अचल संपत्ति में अन्नयत: एकल अधिकार प्राप्त किया। वह दिनांक 01–07–1996 को जन्मा,

(i) किस दिनांक तक वह ऐसी अचल संपत्ति के आधिपत्य के लिए वाद दाखित कर सकता है? सुसंगत विधि सहित स्पष्ट करे?

(ii) यदि वाद विहित परिसीमा के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है, तो क्या परिणाम होंगे?

MIXED
मिश्रित

7. Write short–notes on the followings:–
   1. What is double jeopardy? Explain
   2. Return of plaint and rejection of plaint.
   3. Doctrine of Part performance.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये–

1. दोहरा परिसंकट क्या है? स्पष्ट करे।
2. वादपत्र का लौटाया जाना एवं वादपत्र का नामंजूर किया जाना।
3. भागत: पालन का सिद्धान्त।

SECOND PART
M.P. ACCOMODATION CONTROL ACT, 1961
मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

1.(a) What is denial of the landlord's title or disclaimer of tenancy? What impact it has on the tenant's liability for eviction under the Act?
मकान मालिक के हत का प्रात्याख्यान अथवा किरायेदारी का दावा त्याग क्या है? निष्कासन के लिए किरायेदार के दायित्व पर इसका अधिनियम के अंतर्गत कया प्रभाव पड़ता है?

1.(b) Describe jthe accommodation on which M.P. Accommodation Control Act, 1961 does not apply.
उन स्थानों को वर्णित करें, जिन पर मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 प्रयोज्य नहीं है?

M.P. LAND REVENUE CODE, 1959
मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

2.(a) Who is a Government lessee? On What grounds and under what procedure a Government lessee can be evicted fro his land?
शासकीय पट्टेदार को उसकी भूमि से निष्काषित किया जा सकता है?

2.(b) Explain the provision for reinstatement of a Bhumiswami improperly dispossessed?
अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमि स्वामी के पुन:स्थापन के प्रावधान को स्पष्ट करे?

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972

3.(a) What do you understand by :"Examination–in–chief", "Cross examination" and "Re–examination" of witness?

एक साक्षी के "मुख्य परीक्षण", "प्रति परीक्षण" और "पुन:परीक्षण" से आप क्या समझते हैं?

3.(b) Discuss the provison of the Evidence Act under which a confesson of one accused can be used against another co–accused.

साक्ष्य अधिनियम के उस प्रावधान का विवेचन करें जिसके अन्तर्गत एक अभियुक्त की संस्वीकृति अन्य सह अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त की जा सकती है??

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872
भारतीय दण्ड संहिता, 1872

4.(a) Decribe the offences of Voveurism & Stalking.

दृष्यरतिकता एवं पीछा करना, के अपराधों को वर्णित करें?

4.(b) What is Defamation?What are the essential ingredients to constitute an offence of defamation? Explain its exceptions

मानहानि क्या है? मानहानि के अपराध के आवश्यक तत्व क्या है? इसके अपवादों को स्पष्ट करे।

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

5.(a) Explain the procedure for trial of a warrant case (by a Magistrate) instituted on a police report and otherwise than on a police report?

पुलिस रिपोर्ट पर एवं पुलिस रिपोर्ट के अन्यथा संस्थित वारंट मामलों की (मजिस्ट्रेट द्वारा) विचारण की प्रक्रिया को स्पष्ट करें?

5.(b) Discuss the provisions relating to compounding of offences?

अपराधों के शमन संबंधी प्रावधानों का विवेचन करें?

NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT, 1881
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

6. Who can file complaint for offence under Section 138 of the Act and what are the fact which are required to be proved for establishing the offence?

अधिनियम की धारा 138 अन्तर्गत कौन परिवाद प्रस्तुत कर सकता है और वे कौन से तथ्य हैं जिन्हें अपराध को स्थापित करने हेतु साबित किया जाना चाहिए?

linkinglaws.com

MIXED
मिश्रित

7. Write short–notes on the followings:–
   1. Judicial Notice
   2. Extortion
   3. Landlord under chapter III. A of MPAC Act, 1961.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये–

1. न्यायिक सूचना
2. उद्दापन
3. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अध्याय IIIA के अन्तर्गत "भू–स्वामी"

THIRD PART

1. Write an article in Hindi or English, in about 150 words, on any one of the following topics (Social):
निम्नलिखित विषयों (सामाजिक) में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लगभग 150 शब्दों में लेख लिखिए:
   (i) Menance of corruption.
   भ्रष्टाचार के खतरे
   (ii) Role of women in Nation Building
   राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका।

2. Write an article in Hindi or English, in about 150 words, on any one of the following legal topics (Legal):
निम्नलिखित विषयों (विधिक) में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लगभग 150 शब्दों में लेख लिखिए:
   (i) Legal rights of an accused
   अभियुक्त के कानूनी अधिकार
   (ii) Mediation: New hope towards inexpensive and speedy dispute resolution.
   मध्यस्थता: सस्ते एवं त्वरित विवाद निराकरणक लिए नई उम्मीद।

3. Summarize the following passage in Hindi or in English (in about 150 words):
निम्नलिखित गद्यांश का हिन्दी अथवा अंग्रेजी में संक्षिप्तिकरण कीजिए (लगभग 150 शब्दों में):

1. The petitioner in this case is the father of a minor girl Kiran Devi, who was 15 years of age. Kiran was found mission from her house on 27–10–2006 on which date a boy named Jagat Pal was also found mission from his house. The petitioner lodged a missiong report with Police Station kotwali Damoh. Pursuant to this the police became active and after search nabbed the boy Jagat Pal and also took Kiran Devi into custody.

2. After recovery Kiran Devi had been sent to Nimal Chaya. She made a statement that her parents ware not accepting her marriage with Jagat Pal. Earlier she had made a statement that she had gone with Jagat Pal of her own accod and willingly married him without any pressure or coercion. In thes circumstances, questionof validity of marriage and guardianship has arisen for consideration.

3. It is clear form the facts of this case that the girl was not kidnapped but eloped with Jagat Pal of her own and got married with him. However, the girl was below 18 years when she got married. It is not in dispute that the age of the boy with whom she got married was above 21 years at the time of marriage.

4. We oftern come across cases where girl and boe elope and get married in spite of the opposition from the family or parents. Very oftern these marriages are interreligion, inter–caste and take place in spite of formidable and devid opposition due to deep seated social and cultural prejudices.

5. However, both the boy and girl are in love and dufy the society and their parents, In such cases, the courts face a dilemma and a predicament as to what to do. This question is not easy to answer.

6. We feel that no straight jacket formula or answer can be given. It depends upon the facts and circumstances of each case, The decision will largely depend upon the interest of the boy and the girl, their level of understanding and maturity, whether they understand the consequences, etc.

7. The attitude of the families or parents has to be taken note of, either as an affirmative or a negatiove factor in determining and deciding whether the girl and boy should be permitted to stay together or if the girl should be directed to live with her parents, Probably the last direction may be legally justified, but for sound and good reasons, the Court has option to order otherwise. We may note that in many cases, such girls severely oppose and object to their staying in special homes, where they are not allowed to meet the boy or their parents.

8. The stay in the special homes cannot be unduly prolonged as it virtually amounts to confinement, or detention. The girl, if mature, cannot and should not be denied her freedom and her wishes should not get negated as if she has no voice and her wishes are of no consequence.

9. The Court while deciding, should aso keep in mind that such marriages are voidable and the girl has the right to approach the Court under Section 3 of the Prohibition of Child Marriage Act, to get the marriage declared void till she attains the age of 20 years.

1. इस प्रकरण मे याचिकाकर्त्ता अवयस्क लड़की किरणदेवी, जिसकी उम्र 15 वर्ष थी, का पिता है। किरणदेवी दिनांक 27.10.06 को उसके घर से गायब पाई गई थी इसी दिनांक को एक लड़का जगतपाल भी उसके घर से गायब पाया गया था। याचिकाकर्त्त ने उसकी पुत्री किरणदेवी की गुगशुदगी रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली, दमोह पर की थी। पुलिस ने खाज करने बाद लड़के जगतपाल को पकड़ा और किरणदेवी को भी अभिरक्षा में लिया।

2. बरामदगी के बाद किरणदेवी को निर्मलछाया भेज दिया गया। उसने कथन दिया था कि उसके माता-पिता उसकी शादी जगतपाल के साथ स्वीकार नहीं कर रहे थे। पूर्व में उसने यह कथन दिया था कि वह जगतपाल के साथ अपनी मर्जी से गयी थी और उसने बिना किसी दबाव और प्रभाव के अपनी मर्जी से जगतपाल के साथ शादी की है। इन परिस्थितियों में विवाह की वैधता और संरक्षकर्त्ता का प्रश्न विचार के लिये उठा है।

3. इस प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि लड़की का व्यपहरण नहीं हुआ था बल्कि वह जगतपाल के साथ स्वयं भाग गयी थी और उसके साथ शादी कर ली थी। यद्यपि लड़की शादी के समय 18 वर्ष सक कम थी। यह विवादित नहीं कि जिस लड़के के साथ उसने शादी की थी, उसकी उम्र शादी के समय 21 वर्ष से अधिक थी।

4. हम प्राय: ऐसे मामले देखते हैं जहाँ लड़का-लड़की भाग जाते हैंऔर परिवार या माता-पिता के विरोध के बावजूद विवाह कर लेते हैं। अक्सर ऐसे विवाह अन्तरधर्मीय या अन्तरजातीय होते हैं और प्रबल तथा आवेशपूर्ण विरोध के बावजूद भी होते हैं।

5. यद्यपि लड़का और लड़की दोनों प्यार में होते हैं और वे समाज और माता-पिता की अवज्ञा करते हैं। ऐसे प्रकरणों में न्यायालयों के समक्ष दुविधाऔर विषम परिस्थिति हो जाती है कि क्या किया जावे। इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं है।
6. हम महसूस करते हैं कि कोई सीधा सरल सूत्र या उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह निर्णय मुख्य रूप से लड़का व लड़की की रूचि, उनकी समझ के स्तर औ परिपक्वता कि क्या वे परिणाम आदि समझते हैं, पर निर्भर करेगा।

7. परिवारों या माता-पिता के रवैये को या तो सकारात्मक या नकारात्मक कारके के रूप में अभिनिर्धारित और विनिश्चत करने के लिए विचार में लेना पड़ेगा कि क्या लड़का-लड़की को एक साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिये या लड़की को एक साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिये या लड़की को उसके माता-पिता के साथ रहने का निर्देश देना चाहिये। संभवतया आखरी निर्देश भी विधिक रूप से उचित हो सकता है लेकिन ठोस व अच्छे कारणों से न्यायालयों के पास अन्यथा आदेश करने का विकल्प भी है। हम यह नोट कर सकते हैं कि अनेक प्रकरणों में ऐसी लड़कियाँ विशेष गृहों में उनके रूकने के प्रति विरोध और आपत्ति कर सकती हैं जहां उन्हें या उनके माता-पिता से मिलने की अनुमति नहीं होती है।

8. विशेष गृहों में लड़कियों को अनावश्यक लम्बे समय तक नहीं रोका जा सकता है क्योंकि ऐसा कराना वास्तव में परिरोध या अवरोध के अंतर्गत आता है। लड़की यदि परिपक्व है तो उसे उसकी आजादी से इंकार नहीं किया जा सकता है और न हीं किया जाना चाहिये और उसकी इच्छाओं को इंकार नहीं किया जाना चाहिये जैसे कि उसकी कोई आवाज नहीं है और उसकी इच्छाये किसी परिणाम की नहीं है।

9. न्यायालय का विनिश्चित करते समय यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि ऐसे विवाह शून्यकरणीय होते हैं और लड़की को धारा 3 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त है कि वह 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व ऐसे विवाह को शून्य घोषित करवा सके।

4. Translate the following 15 sentences into English:–

निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :

1. अभियोयजन के अनुसार "ए" टायपिस्ट था और एक अधिकारी के पास कार्यरत था।
2. उस सुसंगत समय पर उक्त अधिकारी नगर में नहीं था तथा "ए" का उक्त अधिकारी के भवन से संलग्न गैरेज में निवास था।
3. दिनांक 31.12.13 को रात्रि लगभग 10 बजे "ए" ने अधिकारी के खाली भवन के भतर प्रकाश की कुछ चमक देखी।
4. वह 'एन' के भवन पर गया, जो अधिकारी के भवन के ठीक पीछे रहता था।

5. 'ए' के अनुरोध पर उक्त 'एन' अपनेउ हाथ में तलवार लेकर भवन के बाहर आया।
6. उन्होंने अधिकारी के भवन से बाहर आते हुए एक व्यक्ति देखा जो मध्यम ऊंचाई का था, उसके बाल घुंघराले थे तथा स्वयं को एक सफेद शॉल् से ढके था।
7. जब 'ए' ने उसे रुकने के लिए पुकारा, कथित व्यक्ति उसे गाली देने लगा और अपने साथ लाई पिस्तौल से उसपर गोली चलाने की धमकी दी।
8. उक्त व्यक्ति ने तीन बार गोली चलाई, जिससे 'एन' को पिस्तौल की गोली की क्षति पहुंची।
9. तत्पश्चात् उक्त व्यक्ति अभिकथित रूप से घटनास्थल से भाग गया और क्षतिग्रस्त 'एन' को अस्पताल पंहुचाया गया।
10. 'ए' की शिकायत पर अन्वेषण आरंभ हुआ और अभियुक्त 'बी' के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।
11. वादी को वाद स्थान की पशुओं को बांधने हेतु एवं नौकरी के निवास हेतु आवश्यकता है।
12. स्थान का नक्शा वादपत्र के साथ संलग्नित नहीं है, केवल चार सीमाएं वादपत्र में कही गयी हैं, जिससे स्थान का आकार समझाना कठिन है।
13. वादी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 12 में कहा है कि उसने वाद स्थान नहीं देखा है और वह वह नहीं जानता कि कितने कमरे वाद स्थान में हैं।
14. वादपत्र में यह कहीं भी नहीं कहा कि कुटुम्ब का आकार क्या है, जिसके लिए वादी को 16 पशुओं के दूध की आवश्यकता होती है।
15. इस प्रकार वादी का सद्भाविक आवश्यकता के बारे में कथन किया है, साक्ष्य द्वारा अभिपुष्ट नहीं है।

FOURTH PART

1. Write a judgment on the basis of fpleadings and evidence given here under after framing necessary issues and analyzing the evicence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये।

PLAINTIFF'S PLEDINGS

'A' filed a suit for declaration of relationship, eviction and recovery of rent against 'B' with pleadings that the suit house situated at Dhar was ppurchased by him some three years ago. 'A' is residing in a rental house and he needs bonafidely the suit house for residence of his family. He has no other suitable accommodation of his own in the town. Previously he had also filed a suit against 'B' for eviction on bona–fide requirement but the same was dismissed being filed within six months of the purchase of suit house by him. In the previous suit the defendant has also challenged the relationship hence a decree of declaration of relationship is also sought as the dcourt has held that tenancy is not provide.

DEFENDANT'S PLEDINGS

'B' denied the plaint allegations substantially and pleaded in the written statement that there is no relationship of land lord and tenant among the parties. The plaintiff has no bona fide requirement and the suit is also abarred by principle of res–judicata as the civil court has already dismissed the previous suit holding that the tenancy is not proved. During proceeding at evidence stage the W/S was amended by

inserting a para that during pendency of suit the plaintiff has purchased and got vacated another house of his own and started living with his family.

PLAINTIFFS EVIDENCE

Plaintiff has produced orginal sale deed (Ex.P1) copy of judgment of previous suit (Ex.P2). he has also produced himself and two withness 'C' and 'D' in oral evidence. The plaintiff 'A' has deposed the facts narrated in plaeadings however he has admitted that during pendency of the suit he has purchased a house and he is residing in it however he has clarified that other family members are residing in rented house. He has also admitted that there is no pleading regarding purchase of another house and no notice was given to defendant regarding purchase of suit house. Other withnesses have proved the purchase of suit house by plaintiff and necessity of plaintiff. They have shown there ignorance from the purchase of another house.

DEFENDANT'S EVIDENCE

Defendant has produced certified copy (Ex. D.1), the sale deed of the other house. Defendant has produced himself and one withness 'F' in evidence. Defendant has approved his pleading and deposed that with purchase of another house the requirement if any of plaintiff comes to end. Defendant had to notice regarding purchase of suit house by plaintiff and plaintiff has never realized the rent from defendant hence he can not be evicted on basis of disclamer of title. The withness also supported the defendant's statement. Although defendant and his witness have admitted that they have not seen family of plaintiff residing in another house and they do not know whether the plaintiff has vacated/left the rented house or not.

ARUMENTS PLAINTIFF

Even after first suit the defendant hsas denied the title of plaintiff has shifted in other house with family. Thus he has failed to prove that vona fide requirement of plaintiff is not genuine or comes to end. Plaintiff and his witnesses have proved the bonafied requirement. Previous suit was not maintainable hence principle of res–judicata does not apply in this suit. Since the defendant has also denied the title of plaintiff, hence the plaintiff also deserves to get the decree of eviction on this ground.

ARGUMENTS DEFENDANT

Disclaimer in a non–maintainable suit will not be treated as a ground against defendant. Since the plaintiff has admitted the purchase and taking possession of second/other house, he was under obligation to prove that this house is insufficient for the residence of his family. But the plaintiff has not prove this fact either by pleading or by evidence principle of res–judicata also applies in this case, because the civil court had inherent jurisdiction.

वादी के अभिवचन–

'ए' ने 'बी' विरुद्ध एक वाद घोषणा, निष्कासन, कब्जा एवं अवशेष किराया हेतु इस अभिवचनों के सा प्रस्तुत किया कि धार में स्थित वादग्रस्त भवन उसने इसके पूर्व स्वामी से लगभग 3 वर्ष पूर्व क्रय कर लिया है। 'ए' एक किराये के मकान में रहता है और उसे अपने परिवार के निवास हेतु वादग्रसत भवन की सद्भावी आवश्यकता है। उसके पास नगर में स्वयं का अन्य कोई उपयुक्त आवास नहीं है। पूर्व में उसने सद्भावी आवश्यकता के आधार पर निष्कासन का वाद 'बी' के विरुद्ध प्रस्तुत किया था लेकिन वह वादग्रस्त भवन के क्रय से 06 माह के भीतर प्रस्तु होने से निरस्त कर दिया गया। उस पूर्व वाद में प्रतिवादी ने किरायेदारी के संबंध को चुनौती दी थी। अत: वादी द्वारा इस वाद में संबंधों की घोषणा की डिक्री भी चाही गई है। क्योंकि न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कर दिया था कि किरायेदारी प्रमाणित नहीं है।

प्रतिवादी के अभिवचन–

'बी' ने वाद अभिकथनों को सारत: अस्वीकार किया और लिखित कथन में अभिवचन किया कि पक्षकारों में भू स्वामी और किरायेदार के संबंध नहीं है। वादी को कोई सद्भावी आवश्यकता नहीं है और वाद पूर्व न्याय के सिद्धान्त से भी बाधित है क्यों कि सिविल न्यायालय वादी के पूर्ववर्ती वाद को यह अभिनिर्धारित करते हुए निरसत कर चुका है कि किरायेदारी प्रमाणित नहीं है। कार्यवाही के दौरान साक्ष्य के प्रक्रम पर लिखित कथन में एक पैरा जोड़ते हुए यह संशोधन किया गया कि वाद के लंबित रहने के दौरान वादी ने स्वयं का मकान क्रय पर कब्जा प्राप्त कर लिया और अपने परिवार के साथ उसमें रहने लगा है। किरायागकाया होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

वादी की साक्ष्य–

वादी ने मूल विक्रय पत्र (प्रदर्श पी.1) एवं पूर्व निर्णय की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श पी.2) प्रस्तुत की है। उसने स्वयं को व 02 साक्षियों 'सी' एवं 'डी' को मौखिक साक्ष्य में भी प्रस्तुत किया है। वादी 'ए' अपने अभिवचनों में बताये तथ्यों का कथन किया है। हालांकि उसने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वाद के लंबित रहेने के दौरान उसने एक मकान क्रय किया है जिसमें वह रहता है, लेकिन उसने यह स्पष्ट किया है कि उसके परिवाद के सदस्य किराये के मकान में ही रहते हैं। उसने यह भी स्वीकार किया है कि दूसरे मकान के क्रय के संबंध में उसके कोई अभिवचन नहीं है और वादग्रस्त भवन के क्रय करने के संबंधम उसने कोई नोटिस प्रतिवादी को नहीं दिया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादी ने किराया न्यायालय में जमा करा दिया है। अन्य साक्षियों ने वादी द्वारा वादग्रस्त भवन क्रय करने और वादी की आवश्यकता को प्रमाणिक किया है। उन्होंने अन्य (दूसरे) मकान के क्रय के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है।

प्रतिवादी की साक्ष्य

प्रतिवादी ने दूसरे मकान के विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (प्रदर्श डी.1) प्रस्तुत की है। प्रतिवादी ने स्वयं को और एक साक्षी 'एफ' को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी ने अपने कथन में अपने अभिवचनों की पुष्टि की और कथन किया कि दूसरे मकान के क्रय करने से वादी की आवश्यकता यदि कोई हो तो समाप्त हो जाती है। प्रतिवादी को वादी की ओर से वादग्रस्त भवन के क्रय करने की कोई सूचना नहीं है और वादी ने प्रतिवादी से कभी कोई किराया वसूल नहीं किया है। अत: प्रतिवादी स्वत्व की इनकारी के आधार पर निष्कासित नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी के साक्षी ने भी प्रतिवादी के कथन का समर्थन किया है। हालांकि प्रतिवादी व उसके साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने वादी के परिवाद को अन्य मकान में रहिते स्वयं नहीं देखा और उन्हें यह पता नहीं कि वादी ने किराये का मकान छोड़ा या नहीं ।

तर्क वादी

प्रथम वाद के पश्चात् भी प्रतिवादी ने वादग्रसत भवन पर वादी के स्वत्व से इन्कारी की। प्रतिवादी ने यह प्रमाणित नहीं किया की सपरिवार अन्य भवन में शिफ्ट हो गया है। इस प्रकार वह यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि वादी की सद्भावी आवश्यकता सच्ची नहीं है अथवा समाप्त हो

गई है। वादी और उसके साक्षियों ने सद्भावी आवश्यकता को प्रमाणित किया है। पूर्ववर्ती वाद पोषणीय नहीं था अत: पूर्वन्यास का सिद्धान्त इस वाद में प्रयोज्य नहीं है।

तर्क प्रतिवादी

अपोषणीय वाद में किये गये स्वत्व के इनकार को प्रतिवादी के विरुद्ध इस वाद में आधार नहीं बनाया जा सकता। चूंकि वादी ने यह दूसरे अन्य भवन को क्रय करना व कब्जा लेना स्वीकार किया है अत: वह यह प्रमाणित करने के दायित्वधीन था कि यह भवन उसके परिवार के निवास के लिये अपर्याप्त है। पूर्वन्यास का सिद्धान्त भी इस प्रकरण में लागू होता है क्योंकि सिविल न्यायालय को अन्तर्निहित क्षेत्राधिकार था।

2. Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given here under by unalyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions of the concerning law.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधियों के सुसंगत प्रवधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये।

PROSECTION CASE–

On 11.12.3 in the evening at about 7:25 PM, informant 'B' lodged a Frist Information Report with police Station Kotwali, Mandsaur to the effect that he resides in House No. 10, Station Road, Mandsaur. On 11.12.13 in evening about 6:30 PM, While he was talking in his drawing room with his friend 'C', suddenly accused A1 and A2 because of previous enmity with 'B' came in to the drawing room armed with Lathis. Both the accused person assaulted 'B' suatained bleeding injuries over head and right arm. When 'C', who sustained bleeding injuries over left arm and right leg. When other family member of 'B' and neighbours came and shouted to save 'B' and 'C', both the accused person intimidated 'B' by threatening to cause death and then fled away.

Thereafter 'B' and 'C' came to the police station Kotwali Mandsaur and 'B' lodged the report, thereby, police registered case under crime no. 350/13 and thana incharge firstly sent both the injured persons to districe hospital Mandsaur, where Dr. 'D'medically examined both the injured persons. Injuries found over 'C' were simple in nature, whereas both the injuries found over 'B' were grievous in nature. All the injuries found on injured persons were caused by hard and blunt object. During investigation site plan was prepared, accused A1 and A2 were arrested, lathis were also seized from them and after completion of investigation the chargesheet against A1 and A2 filed under Section 452, 323, 506/34 of I.P.C.

DEFENCE PLEA–

The accused persons have denied the charges and their defence plea is that they have been falsely implicated on account of enmity.

PROSECUTION EVIDENCE–

In examination in chief 'B' (P.W.1.) stated that on the date and time of incident the accused A1 and A2 entered into his house and assaulted him over right arm and right side on head with lethis and when his friend 'C' (P.W.2.) tried to save him both the accused persons also gave lathi blow to 'C' (P.W.2). His family members and neighbours came and shouted over accused A1 and A2 and they fled away. Then he lodged report eXhibit P–1 in police station Kotwali, Mandsure and doctor also medically examined him at district hospital Mandsaur. His right arm and right side of head were fractured and he was admitted in hospital for seven days. In cross examination 'B' (P.W.1) had denied the suggestion of the defence that he has received the injuries by fall.

Another injured witnesses 'C' (P.W.2) also supported the prosecution version to the extent as of the P.W.1. Dr. 'D' (P.W.3) also corroborated the versions of 'B' (P.W.1) and 'C' (P.W.2) by proving their MLC reports Exhibit P3 and P4, X–ray report of 'B' Exhibt P5 and X–ray plates Article X–1 and X–2.

DEEFENCE EVIDENCE–

The accused A1 and A2 in their examination U/s. 313 of Cr.P.C. denied the allegations against them and took a defence of false implication due to enmity. No further evidence in defence is given by the accused persons.

ARGUMENTS PROSECTION–

District Prosection Officer has argued that the all charges against accused persons are proved beyond any resanable doubt, hence the accused persons be convicted accordingly and rigours punishment be imposed.

ARGUMENTS DEFENCE–

Accused persond have been falsely implicated due to enmity. Prosecution evidence is doubtful as no independent witnesses is produce and accused persons can not be convicted only with evidence of partisan witnesses. Hence, they be acquitted.

अभियोजन का प्रकरण:–

दिनांक 11–12–2013 को शाम करीब 7.25 बजे सूचनाकर्त्ता 'बी' ने अरक्षीकेन्द्र कोतवाली, मन्दसौर में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आश्य की कि वह मकान न. 10 स्टेशन रोड़, मन्दसौर मे रहता है। दिनांक 11–12–2013 को शाम करीब 6.30 बजे जब वह अपने ड्राईंग रूम में उसके मित्र 'सी' के साथ बातचीत कर रहा था, अचानक अभियुक्त ए–1 और ए–2, 'बी' के साथ पूर्व रंजिश के कारण लाठियों के साथ सुसज्जित आएं। दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने 'बी' पर अपनी लाठियों के साथ हमला किया। हमले के कारण 'बी' को सिर पर और दांयी भुजा पर रक्तस्त्राव युक्त उपहतियों पंहुची। जब 'सी' ने 'बी' का बचाव का प्रयत्न किया तो अभियुक्त ए–1 और ए–2 ने 'सी' को भी लाठी से चोटें पहुंचाई, जिसके कारण उसे बांयी भुजा और दांये पैर में रक्तस्त्राव युक्त उपहतियां पहुंची। जब 'बी' के परिवार के अन्य सदस्य और पड़ौसी आएं और 'बी' व 'सी' को बचाने के लिए चिल्लाये तो दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने 'बी' को जान से मारने की धमकी देकर अभित्रस्त किया और फिर भाग गए। इसके बाद 'बी' और 'सी' अरक्षीकेन्द्र कोतवाली, मन्दसौर आए और 'बी' ने रिपोटे दर्ज कराई, जिस पर से आरक्षीकेन्द्र कोतवाली, मन्दसौर में अपराध क्र.350/2013 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और थाना प्रभारी ने प्रथमत: दोनों आहत व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय, मन्दसौर भेजा जहां डॉक्टर 'डी' ने दोनों आहत व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण किया। 'सी' के शरीर पर पाई गई चोटों साधारण प्रकृति की थी, जबकि 'बी' के शरीर पर दांयी अल्ना हड्डी और सिर के दांये पैरायटल क्षेत्र में अस्थभंग की गंभीर उपहतियां पाई गई। आहत व्यक्तियों के शरीर पर पाई गई सभी चोटें किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से पहुंचाई गई थी।

अनुसंधान के दौरान नक्शा मौका बनाया गया, अभियुक्त ए–1 व ए–2 को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से लाठियां जप्त की गई ओर अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् ए–1 व ए–2 के विरुद्ध धारा 452, 323, 325, 506/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक:–

अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया और रंजिशवश उन्हें इस मामले में झूठा फंसाना बताया।

अभियोजन साक्ष्य:–

'बी' (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक व समय पर अभियुक्त ए–1 और ए–2 उसके मकान के अन्दर आ गए थे और उसकी दांयी भुजा और सिर पर दांये तरफ लाठियों से हमला किया और जब उसका मित्र 'सी' उसे बचाने के लिए आया था तो दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने भी 'सी' पर भी लाठियों से वार किये थे। उसके परिवार के सदस्य ओर पड़ौसी आए थे और ए–1 व ए–2 पर चिल्लयों थे तो वे भाग गए थे। इसके बाद उसने आरक्षज्ञीकेन्द्र कोतवाली, मन्दसौर में इसकी रिपोर्ट प्र.पी.1 की थी और डॉक्टर ने भी जिला चिकित्सालय, मन्दसौर में उसका डॉक्टरी परीक्षज्ञण किया था। उसके दांयी भुजा और सिर पर दांये तरफ फ्रेक्चर हो गया था और वह अस्पताल में 7 दिन के लिए भर्ती रहा था। अन्य आहत साक्षज्ञी 'सी' (अ.सा.2) ने भी 'बी' (अ.सा.1) द्वारा बताए गए अभियोजन के मामले की समा तक इसका समर्थन किया है। डॉक्टर 'डी' (अ.सा.3) ने भी 'बी' (अ.सा.1) एवं 'सी' (अ.सा.2) के कथनों का उनकी चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट प्र. पी. 3 व 4, 'बी' की एक्स–रे रिपोर्ट प्र.पी.5 एवं एक्स–रे प्लेट आर्टीकल एक्स–1 एवं एक्स–2 का प्रमाणित करते हुए समर्थन किया है।

अपने प्रतिपरीक्षण में 'बी' (अ.सा.1) ने बचाव के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसे गिरने के कारण चोटें आई थी।

प्रतिरक्षा साक्ष्य:–

अभियुक्त ए–1 और ए–2 ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उनके परीक्षण में उनके विरुद्ध लगाए आक्षेपों से इन्कार किया ओरयह बचाव लिया है कि रंजिश के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है। इसक अलावा अभियुक्तगण ने बचाव में और साक्ष्य नहीं दी है।

अभियोजन का तर्क:–

जिला अभियोयजन अधाकारी ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तिगणों के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होना और अभियुक्तगण के बचाव स्वीकार योग्य न होना बताते हुए अभियुक्तगणों को सभी आरोप में दोषसिद्ध कर कठारे दंड दिये जाने का तर्क प्रस्तुत किया है।

प्रतिरक्षा में तर्क:–

बचावपक्ष की ओर से रंजिशवंश अभियुक्तगण को झूठा फंसाए जाने और किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रसतुत न करने से साक्षियों के कथन संदेहास्पद होने का तर्क देतु हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का तर्क प्रस्तुत किया है।